

बिहार सरकार,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0-1682-पटना, दिनांक- 31-03-17

सरकार की राय में रब्बी विपणन मौसम 2017-18 हेतु राज्य के किसानों को अपनी उपज का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

2. रब्बी विपणन मौसम 2017-18 अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य का नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाता है तथा सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) तथा प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से गेहूँ का क्रय कर बिहार राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र में प्राप्त कराकर अधिप्राप्ति का कार्य सम्पादित किया जायेगा। पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा राज्य के किसानों से खरीदे गये गेहूँ के गुणवत्ता की जाँच बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने अधिनस्त कार्यरत गुण नियंत्रकों से कराकर अपने गेहूँ संग्रहण केन्द्र में रखेगा तथा उक्त गेहूँ का उपयोग (DCP) व्यवस्था अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के विरुद्ध लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।

3. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं0 4(1)/2016-पी0वाई0.1 दिनांक - 24.11.2016 के द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2017-18 के अन्तर्गत गेहूँ का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :-

(रूपये प्रति क्वींटल)

गेहूँ 1625.00

4. रब्बी विपणन मौसम 2017-18 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक- 10.04.2017 से 31.07.2017 तक के लिए प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भरत कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-03/2016-खाद्य, पटना/दिनांक - 31-03-17
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना-7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

सरकार के विशेष सचिव।

Government of Bihar
Food & Consumer Protection Department.

NOTIFICATION

G.S.R.....1683.....Patna, dated.....31-03-17.....

WHEREAS the Government is of the opinion that for Providing the MSP to farmers and for ensuring the availability and supply of Wheat in the State it is proper and necessary to establish procurement centers during RMS 2017-18

2. Bihar State Food Corporation is designated as the Nodal Agency for the procurement of wheat under Decentralized Procurement Scheme for Rabi Marketing Season 2017-18 and Primary Agriculture credit Societies (PACS)/ Vyapar Mandals are authorized as procuring agencies for the procurement of Wheat during Rabi Marketing season 2017-18. Primary Agriculture credit Societies (PACS) at Panchyat level and Vyapar Mandal at Block Level shall purchase wheat from farmers and perform the procurement exercise through Bihar State Food Corporation by Providing therein wheat collection center. Bihar State Food Corporation shall keep the wheat at collection center after testing its quality by which was purchased quality controller working under BSFC by farmers of the state through PACS/ Vyapar Mandal those procured wheat shall be utilized under DCP scheme against the allotment received from Govt, of India for TPDS under National Food Security Act.

3. The minimum support price of wheat has been fixed for Rabi marketing season 2017-18 as per letter no. 4(1)2016-PY1 dated 24-11-2016 of the Ministry of Consumer affairs, Food and Public Distribution (Food & Public distribution Deptt) Govt of India, New Delhi. Which is as follows :-

(in Rs. per quintal)

Wheat	-	1625.00
-------	---	---------

4. Wheat procurement programme during Rabi Marketing Season 2017-18 will be effective **form 10.04.2017 to 31.07.2017.**

By the Order of Governor of Bihar.


(Bharat Kumar Dubay)
Special Secretary.